

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(मुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. १९(१)साप्र/२/२०१८

जयपुर, विनांक : ०३/०३/०१)

-: आदेश :-

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी घटुर्षे श्रेणी में एफ-ब्रेफी (स्थान) की गरीबानुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अकित राजस्थान आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार कियाये पर राजस्थान आवास आवंटन नियम, १९५८ के प्रवधानानुसार शर्तों के अधार पर एतद्वारा आवधित किया जाता है-

क्र. सं.	वर्तीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	308	श्री दीपक वर्मा स्टेनोग्राफर ग्रेड-१ पारिवारिक स्थायित्व, क्रम-१, जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर।	31.08.2036	एफ-४५०, गाँधीनगर (4/142, गाँधीनगर (मुख्या नं. एफ-९२३), जयपुर के स्थान पर)
2.	309	श्री मोहन सिंह भीना नर्स ग्रेड-१। सर्वाई भानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.10.2028	एफ-६९, गाँधीनगर (4/108, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
3.	417	श्री हेमन्त पण्डिया सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-३/सुरक्षा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2048	एफ-७०, गाँधीनगर (4-४-१८, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
4.	430	श्री हेमराज शर्मा अनुभागाधिकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।	30.09.2031	एफ ७०, गाँधीनगर (4/45, गाँधीनगर के स्थान पर)
5.	431	श्रीमती मीना कुमारी नर्स ग्रेड-१ जे.के.लॉन अस्पताल, जयपुर।	30.04.2033	एफ-१६३, गाँधीनगर (4/81, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
6.	432	श्री वृजमोहन यादव सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (समन्वय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2046	एफ-१६४, गाँधीनगर (4-वी-३, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
7.	433	श्रीमती शिखा जाटोलिया सहायक प्रोग्रामर कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, जयपुर।	31.10.2049	एफ-१८३, गाँधीनगर (4/114, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
8.	434	श्री दामोदर लाल मीना वाहन चालक राज एयर स्कॉल एन सी सी जयपुर।	31.08.2028	एफ-१९३, गाँधीनगर (4/94, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
9.	435	श्रीमती सरोज यादव नर्स ग्रेड-१॥ महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट जयपुर।	31.07.2037	एफ-१२३, गाँधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4/69, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
10.	437	श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (क-५) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2045	एफ-१७३, गाँधीनगर (4/122, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
11.	438	श्रीमती शहनाज बानो नर्स ग्रेड-१॥ सर्वाई भानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	30.06.2038	एफ-१९९, गाँधीनगर (4/38, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
12.	440	श्रीमती बाला कुमारी दिशेष अध्यापिका, राजा सेठ आनन्दी लाल पोद्यार मूक बधिर विद्यालय, जयपुर।	31.07.2047	एफ-२००, गाँधीनगर (4/127, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
13.	441	श्रीमती कमला वर्मा, सहायक प्रोग्रामर, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	31.01.2041	एफ-४५६, गाँधीनगर (4/57, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
14.	442	श्री अंकुर कुमार बंसल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-४, जयपुर	31.01.2049	एफ-४९३, गाँधीनगर (4/176 गाँधीनगर (मुख्या नं.एफ-९९), जयपुर के स्थान पर)

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानांतरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पहले आवास रिकॉर्ड करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्ती/बच्चों के नाम से पदरथापन रथान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की विधि में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—जैकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा सकता है। आः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1968 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने तो आवास रिकॉर्ड की तिथि से 8 दिवस में अध्यवा आवंटन स्थीकार करने के अवकल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल विधि में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भरता यदि उस बोत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही परस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की विधि से आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के हासा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आभित विस्तीर्ण अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त शास्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आक्षा से,

50

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कमिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, कृषि पंत भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. कमाण्डेंट, राज. एयर रकवा, एन.सी.सी. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षक, सर्वांग चिकित्सालय/जे. के. लोन. चिकित्सालय/महिला चिकित्सालय, सांगामेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी (संरथापन), पारिवारिक न्यायालय, क्रम-1, जयपुर, महानगर-प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. प्रधानाचार्य, राज० सेठ आनन्दी लाल पोद्यार मूक बधिर विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की विधि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कौषाणिकारी, कौण कार्यालय, जयपुर शहर/शासन सचिवालय, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
17. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड पर चर्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजावाएं।
19. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रावि।
21. रक्षित पत्रावली।

*Dr. 9/1/21*  
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल